निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 14/2020 (रसद अपील)

मैसर्स मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री भंवर लाल प्राधिकार धारक उचित मूल्य दुकान संख्या 350 सैक्टर नम्बर 421–1, जयपुर शहर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 350 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र संख्या 499/2019 आदेश दिनांक 29.11.2019 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री के॰ डी॰ शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.02.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री भंवर लाल प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान संख्या 350 सैक्टर नं॰ 421–1, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 29.11.2019 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 350 जयपुर शहर का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते

जिला कलक्टर
जयपुर

है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। जिला रसद अधिकारी ने कमांक 893 दिनांक 14.10.2019 को नोटिस/आदेश द्वारा 80 किलोग्राम गेहूं का बाजार मूल्य 1600/–रूपये राजकोष में जमा कराने का अपीलार्थी को आदेश दिया तथा राशन कार्ड संख्या 119000700281 जो मोहम्मद ईशाक के नाम बताया गया है में माह दिसम्बर 2018 व जून 2019 में स्वयं की पुत्री एवं पुत्र के आधारकार्ड पर गेहूँ उठाए जाने हेतु स्पष्टीकरण चाहा गया। दिनांक 17.10.2019 को जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी से 1600/–रूपये चालान बना कर राजकोष में जमा करवा लिये। यद्यपि जिला रसद अधिकारी ने नोटिस के साथ रिपोर्ट व पोस मशीन की डिटेल आदि जिनके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही संस्थित कर कारण बताओं नोटिस जारी किया उनकी प्रतियां अपीलार्थी को नही दी, लेकिन तत्काल अपीलार्थी ने दिनांक 01.11.2019 को नोटिस का प्रत्युत्तर कर निवेदन किया कि " उपभोक्ता मेरी उचित मूल्य दुकान पर राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए आते है, जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही गेहूं दिया जाता है। किसी कारणवश सत्यापन नहीं होने पर आधार के द्वारा मोबाईल पर ओ टी पी प्राप्त करके पोस मशीन में डाल कर सत्यापन करके उपभोक्ता को गेहूँ दिया जाता है। पोस मशीन में पहले से ही आधार कार्ड अंकित है। मेरे द्वारा पोस मशीन में आधार कार्ड अंकित नहीं किये गये है। इसलिए मेरे द्वारा गेहूं का गबन नहीं किया गया है। दिनांक 01.11.2019 के बाद अपीलार्थी को कोई तारीख पेशी या प्रासिंडिग की सूचना जिला रसद अधिकारी द्वारा नही दी गई। अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी कार्यालय में तलाश करने पर दिनांक 14.02.2020 को उसे मालुम पडा कि जिला रसद अधिकारी ने एक तरफा में दिनांक 29.112019 को ही आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश पारित कर दिए जिस पर अपीलार्थी ने उसी दिन दिनांक 14.02.2020 को ही निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया तथा निर्णय की प्रति दिनांक 03.03.2020 को प्राप्त होने पर अपील निर्णय की प्रति प्राप्त होने से अपील एक माह की अवधि में प्रस्तुत है। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 14.10.2019 को ही अपीलार्थी को दोषी मान कर गेहूं की बाजार कीमत वसूल करने का आदेश कर उससे गेहूं की कीमत जमा करवा ली। इसलिए यह एक औपचारिकता मात्र थी। यानि जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व ही उसके विरूद्व निर्णय पारित करने का मानस पूर्व में ही बना लिया था, जिससे जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 29.11.2019 पूर्ण रूप से अवैद्य निर्णय है। यानि अपीलार्थी को एक ही आरोप पर दो बार सजा दी गई है जो निरस्तनीय है। अपीलार्थी के विरूद्व आरोप यह नही है कि उसके द्वारा गेहूं का वितरण नहीं किया गया या उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं दिया। जिन राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं द्वारा गेहूं उठाया गया या जिन अधिकारियों ने उनके नाम भामाशाह कार्ड बनाये, उन्हें बिना साक्ष्य मे बुलाये तथा उनसे जांच किये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। राशन कार्ड संख्या 1190000700281 का मालिक/मुखिया मोहम्मद ईशाक को भी जांच हेतु नहीं बुलाया और वह आधार जिसे फर्जी बनाया गया है, के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी ने कोई जांच न कर एक तरफा निर्णय पारित किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

तकनिकी आधार पर यानि मात्र 80 किलो गेहूं जिसकी कीमत जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी से जमा करा ली है, के आधार पर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का जो प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिया है, वह मामले की नाईयत को देखते हुये अत्यधिक है जो निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय अपीलार्थी के जबाब पर विचार किये बिना पारित किया है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो परिवादी का परीक्षण किया ना अपीलार्थी को उससे प्रतिपरीक्षण करने का मौका दिया, ना राशन कार्ड जब्त किया, ना प्राधिकार पत्र जब्त किया और ना ही कोई जांच की। यहां तक कि राशन कार्डधारक को भी नहीं बुलाया। आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के प्रावधान के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार कोई भी प्राधिकार धारक राशनकार्डो पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ के विक्रय या वितरण पर इन्कार नहीं कर सकता तथा शर्त संख्या 15 के अनुसार उक्त वितरण का इन्द्राज प्राधिकारधारक राशनकार्डो में निर्धारित स्थानों पर करने को पाबन्द है। आदेश 1976 के उक्त प्रावधान सर्वोपरि है तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गेहूं का विक्रय राशनकार्डधारक को किया गया है। जिसका इन्द्राज उपभोक्ता के राशन कार्ड में दर्ज है। राशन कार्ड धारक उपभोक्ता को यह अवसर भी दिया गया है कि वह किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड पर राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। खाद्य विभाग एवं नागरिक विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2015 द्वारा समस्त जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को डिजीटिल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को प्रशिक्षण दिये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन उक्त आदेशों की ना तो कोई पालना की गई और ना ही किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को पोस मशीन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया । जिला रसद अधिकारी ने अन्य अनेक मामलों में उक्त अनियमितता के लिए केवल मात्र गेहूं की कीमत जमा करा कर प्राधिकारधारक का प्राधिकार पत्र बहाल किया है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी के निम्न मामले–(1) प्रकरण संख्या 510/2019 निर्णय दिनांक 17.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश सोनी (2) प्रकरण संख्या 622/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री संजय कुमार मीणा (3) प्रकरण संख्या 588 सी/2020 निर्णय दिनांक 29.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री मैसर्स शिवरण सिंह नरूका एवं (4) प्रकरण संख्या 536/2020 निर्णय दिनांक 26.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स जगदीश प्रसाद पहाडिया उल्लेखनीय है। उक्तानुसार एक ही प्रकार के आरोप पर जहां उक्त उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र बहाल रखा गया है और उनसे गेहूं की कीमत जमा कराली गई है, तब अपीलार्थी से गेहूँ की कीमत जमा कराने के बावजूद उसके प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया, वह किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। एक ही प्रकार के मामलो में दो अलग अलग निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशनकार्ड संख्या 119007608148 के परिवार की सदस्या मुस्कान पुत्री का, राशन कार्ड संख्या 200001720017 के परिवार की

जिला कलक्टर
जयपुर

सदस्या रजिया पोत्री का, राशनकार्ड संख्या 119007608147 के परिवार के सदस्य मोहीन खान पुत्र का, राशन कार्ड संख्या 119007608134 के परिवार के सदस्य मोहम्मद जैद पोत्र के असली आधार कार्डो की छया प्रति प्रस्तुत नही कर उक्त सभी राशनकार्डो में उल्लेखित सदस्यों के फर्जी आधार कार्ड लगाय जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। एफपीएस डीलर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधारकार्ड लिंक करके गेहूं की सही सही निकासी करे। आधार कार्ड लिंक करने का कार्य भी एफ पी एस डीलर द्वारा ही किया जाता है। राशन कार्ड में परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति के आधार कार्ड को लिंक करके गेहूं की अवैद्य निकासी राशन डीलर की लिप्तता के बिना सम्भव नही है। दुकानदार का जबाब संतोषप्रद नही है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है । जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर राशन कार्ड संख्या 1190000700281 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति का आधार कार्ड को लिंक करके गेहूं की निकासी कर 80 किलोग्राम गेहूं की अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशन कार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड सख्या 1190000700281 पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्ज सिद्व कर पाये है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नही पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है, जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहू की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी से गेहूं की राशि भी जमा करा ली और अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2019 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनाक 09.02.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

9/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर